



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 24.10.2025

❖थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम, खुलासे व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 372/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त आलोक कुमार गुप्ता पुत्र राम आसरे गुप्ता निवासी खेरसा थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 37 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.10.2025 को थाना भोगनीपुर से पुखरायाँ की तरफ जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

आलोक कुमार गुप्ता पुत्र राम आसरे गुप्ता निवासी खेरसा थाना बिधनू जनपद कानपुर नगर उम्र करीब 37 वर्ष

अभियुक्त आलोक कुमार गुप्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 314/2024 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
- 2.मु0अ0सं0 110/2025 धारा 317(4) बीएनएस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात
- 3.मु0अ0सं0 372/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस